रिट याचिका (सिविल) 2018 की संख्या 551

13 जून, 2018

दिशा पांचाल और अन्य ..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ के सचिव और अन्य .....प्रत्यर्थी

साथ में

रिट याचिका वर्ष 2018 संख्या 554, 600 तथा 621

निर्णय उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया

1. ये याचिकाएं प्रतिवादी नंबर –2 और 3 द्वारा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2018 के अनुचित संचालन को उजागर करती है, जो देश के 19 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विश्वविधालयों में प्रवेश के लिए एकल खिड़की ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा है। याचिकाकर्ताओं उक्त CLAT के लिए उपस्थित हुए थे और उन्हें विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था, जो उनके अनुसार , प्रतिवादी नंबर 2 और 3 के कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी। याचिकाकर्ताओं और अन्य उम्मीदवारों द्वारा अनुभव की गई कुछ कठिनाईयाँ थीः

ए. परीक्षा के प्रश्न शुरूआत में स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे थे, और रूक रूक कर गायब हो रहे थे और फिर से दिखाई दे रहे थे।
बी. अगले प्रश्न पर जाने के विकल्प आदि रूक रूक कर काम करना बंद कर दिया।

सी. खाली स्क्रीन या जमी हुई स्क्रीन और साफ्टवेयर क्रैश कर गया।

डी. निरीक्षगण अक्षम और अनुपयोगी थे – गड़बड़ियों को सुलझाने में मदद करने में असमर्थ थे तथा उन्हें गड़बड़ियों के बारे में अवगत कराने पर उनकी अशिष्टता सामने आई ।
ई. कम्प्यूटर खराब थे और उन्हें रीबूट करने में कोई मदद नहीं मिली।

परिणामस्वरूप, उम्मीदवारों को उपलब्ध प्रभावी समय आवंटित समय से बहुत कम था, जिनके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को बहुत नुकसान हुआ।

2. इस न्यायालय में दायर याचिकाओं के अलावा , कुछ उम्मीदवारों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों का भी दरवाजा खटखटाया , जहां याचिकाएं अभी भी लंबित है। दिनांक 24.05.2018 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने कहा था, ''चूंकि CLAT परीक्षा– 2018 के संदर्भ में पूरा मुद्दा वर्तमान कार्यवाही का विषय है, इसलिए यह उचित है कि कोई भी उच्च न्यायालय इस विषय पर लंबित कार्यवाही की सुनवाई अगले आदेश तक नहीं करेगा ।

3. 25.05.2018 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

'' कल सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के सम्मान में , प्रतिवादी नंबर 2 और 3 ने विनम्रतापूर्वक एक शिकायत निवारण समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति एमआर हरिहरन नायर शामिल होंगे। डॉ. संतोष कुमार जी, प्रोफेसर और प्रमुख, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग , कोचीन विज्ञान और प्रौद्यागिकी विश्वविघालय। समिति की अध्यक्षता श्री न्यायमूर्ति एम आर हरिहरन नायर करेंगे जो अब तक ऑनलाइन प्राप्त प्रत्येक एकल अभ्यावेदन शिकायत की जांच करेंगे और रविवार, 27 मई ,2018 की शाम 7.00 बजे तक प्राप्त किसी भी अन्य अभ्यावेदन/शिकायत की जांच करेंगे और उचित विश्लेषण के बाद मामले पर उचित निर्णय लेंगे। मामले के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

पहले चरण में , इस न्यायालय के साथ साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष पहले से ही प्राप्त अभ्यावेदन /शिकायतों और सभी रिट याचिकाओं की जांच की जा सकती है और उचित प्राधिकारी द्वारा 29 मई,2018 से पहले उचित रिपोर्ट/सिफारिश/निर्णय दर्ज किया जा सकता है। 30 मई, 2018 को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाय।

दूसरे चरण में, रविवार , 27 मई ,2018 को शाम 7.00 बजे तक ऑनलाइन प्राप्त नए /नए अभ्यावेदन/शिकायतों पर विचार किया जाएगा और यदि संभव हो तो उनकी जांच 29 मई तक उपर बताए अनुसार ही पूरी की जाएगी। 2018 और इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट 30 मई , 2018 को न्यायालय के समक्ष दायर की जाएगी। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील का कहना है कि जैसे ही नए/नए अभ्यावेदन /शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त होंगी, उन्हें समसामयिक रूप से जहॉ तक संभव हो स्वीकार करने का प्रयास किया जाएगा।

हम प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील द्वारा इतने कम समय के भीतर इस व्यवस्था की छूट की पेशकश करने के लिए उठाए गए निष्पक्ष रूख की सराहना करते हैं।

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील का कहना है कि इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित इमेल खाता बनाया जाएगा, जिसका प्रचार सीएलएटी की अधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा और अब से दो घंटे के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही सूचित किया जाएगा।

हम यह स्पष्ट करते है कि यह आदेश उन रिट याचिकाकर्ताओं को भी लाभान्वित करेगा जिन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर की है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में अंतरिम रोक सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी। 30 मई,2018 को मामलों की सूची बनाएं।''

4. इस प्रकार गठित शिकायत निवारण समिति ने तब से कुछ अनुबंधों को संलग्न करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट दायर की है। रिपोर्ट की प्रतियों के साथ साथ अनुलग्नकों को पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वकील के देने का निर्देश दिया गया ताकि वे इस न्यायालय की सहायता कर सके। रिपोर्ट के पैराग्राफ 4, 12 और 14 इस प्रकार हैः–

''4. 30.05.2018 तक उम्मीदवार रिट याचिकाकर्ताओं की संख्या: 25 (दिनांक 29.05.2018 की पहली रिपोर्ट के अनुबंध –I की क्रमांक संख्या 1–25) मामले की सुनवाई तक प्राप्त शिकायतों की संख्या , अर्थात् 25.05.2018 केा 11.30 बजे – 2676, 25.05.2018 को सुबह 11.30 बजे से शाम 7.00 बजे के बीच प्राप्त शिकायतों की संख्या –115, 25.05.2018 को शाम 5.50 बजे के बीच नई ई– मेल आईडी पर प्राप्त शिकायतों की संख्या 27.05.2018 को शाम 7.00 बजे तक –5677

12. सिफी का प्रतिनिधित्व करने वाली सेवा प्रदाताओं की टीम ने समिति को ऑडिट रिपोर्ट और कम्पनी के केन्द्रीय सर्वर पर उपलब्ध सभी सहायक डेटा का प्रदान किया। इन अधिकारियों के नाम अनुलग्नक – ॥ में हैं (रिपोर्ट दिनांक 29.05.2018 के साथ पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है) कुछ मामलों में समिति ने महसूस किया कि कथित खामियों के संबंध में सेवा प्रदाता का स्पष्टीकरण आवश्यक था। इस प्रकार प्राप्त विवरण अनुलग्नक – ॥ में हैं (दिनांक 29.05.2018 की रिपोर्ट के साथ पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है)।

14. उम्मीदवारों के द्वारा उठाई गई विभिन्न शिकायतों पर गौर करने पर , समिति ने महसूस किया कि वे मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक के अंतर्गत आते हैः

1. बार – बार लॉगिन विफल होना।
2. मशीनों /माउस का परिवर्तन एंव व्यवधान।
3. प्रश्न पूर्ण या आंशिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं।
4. पंजीकृत उत्तर गायब हो गए।
5. गर्मी एंव प्रतिकूल वातावरण ।
6. हंगामा और व्याकुलता
7. समय विस्तार प्रभावी नहीं है क्योकि पुनः लॉग इन नहीं था।
8. कुछ को अनुचित समय विस्तार दिया गया।
9. ब्राउजर बंद कर जानबूझकर की गई धोखाधड़ी।
10. बिजली की विफलता और यूपीएस की अनुपस्थिति के लिए एकाधिक लॉग इन की आवश्यकता होती है और एकाग्रता में विकर्षण होता है।
11. परीक्षा पूर्व तैयारी सत्र अप्रभावी थे, बहुत बार मशीनों को बदलना ध्यान भटकाना था।
12. निरीक्षक अनुपयोगी हैं। ''

5. समिति द्वारा इस मामले को ऑडिट रिपोर्ट और 4690 उम्मीदवारों से संबंधित उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आलोक में निपटाया गया। समिति ने तब '' मूल्यांकन का विवरण '' शीर्षक के तहत मामले पर विचार किया और निम्नानुसार कुछ सुझाव दिएः

''एक 4690 अभ्यर्थियों से संबंधित आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि कुछ अभ्यर्थियों केा परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित समय से कम समय ही मिला। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया हैः

1. एक मिनट से कम समय की कमी पाने वाले अभ्यर्थी: 70
2. दो मिनट से कम समय की कमी पाने वाले अभ्यर्थी: 140
3. एक मिनट से अधिक समय की कमी पाने वाले अभ्यर्थी: 94 इस प्रकार मामूली रूप से समय की कमी पाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 210 है और दो मिनट से अधिक समय बर्बाद करने वाले अभ्यर्थियों को मिलाकर कुल 304 है।

इसी प्रकार, डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि –i, उनमें से 2276 में परीक्षा शुरू होने से लेकर समाप्ति तक एक ही लॉन इन सत्र था। द्वितीय, 1899 आवेदकों को कई लोग इन सत्रों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन पहले सत्र में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह तीन उप श्रेणियों के अंतर्गत आता है।

(1) कई सत्रों वाले 892 मामलों में उचित समय विस्तार नहीं दिया गया, जिनमें से 623 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी करने के लिए 2 घंटे का प्रभावी समय मिला।
(2) समय विस्तार दिया गया और लाभ उठाया गया: 558
(3) समय विस्तार दिया गया और लाभ नहीं उठाया गया: 449

iii) पहले सत्र में प्रतिक्रिया के साथ एकाधिक लॉगिन: 515 14 ए 1, अनुबंध XI के खंड 7 और 19 ,खंड एल और एम के साथ पढ़ें

(iii) अनुलग्नक XII ने यह सुनिष्चित करने के लिए सिफी टेक्नोलॉजिज पर दायित्व दिया कि यूपीएस और जेनरेटर सुविधाएं प्रदान की जाय ताकि उम्मीदवार के लिए निबंध गतिविधि की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में चूक ही मुख्य कारण है जिसके कारण उम्मीदवार को बार बार पुनः लॉगिन करने की आवश्यकता पड़ी।

यह पैरा , जिसे रिपोर्ट में पैरा 14 के रूप में भी चिह्नित किया गया है, को हमारे द्वारा पैरा 14 ए के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है।

15. 2018 का क्वैट विभिन्न खामियों से भरा था। पाए गए प्रमुख दोषों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया हैः i. अधिकांश शिकायतें प्रारम्भिक लॉग इन की विफलता से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि एकाधिक लॉग इन ने सिस्टम के प्रदर्शन का प्रभावित किया है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दक्षता सर्वर क्षमता और प्रभावकारिता पर निर्भर करेगी। । Ann.XII के सीएल. 8 , पृष्ठ 8 के तहत , सेवा प्रदाता परेशानी मुक्त सॉफ्टवेयर प्रदान करने के लिए बाध्य था। प्रारंभिक लॉग इन विफलता का सामान्य दोष हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या नेटवर्क की कमियों से उत्पन्न हुआ होगा। ii. अभ्यर्थियों को कुशल सॉफ्टवेयर और कम्प्यूटर उपलब्ध करा ये बिना इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित करने के परिणामस्वरूप प्रश्नों के उत्तर देने में अपिहार्य रूकावटें आई। iii. एयर कंडीशनिंग सिस्टम की कमी/असफलता जैसी बुनियादी ढांचागत खामियां गर्मी के चरण पर आयोजित परीक्षा में कई केन्द्रो में छात्रों के सर्वोत्तम प्रदर्शन के रास्ते में बाधा बनी।

iv. बिजली गुल होने से कई केन्द्र प्रभावित हुए, जिससे समय की हानि हुई और प्रतिस्पर्धी परीक्षा में सुचारू प्रदर्शन के लिए आवश्यक मन की एकाग्रता में बाधा उत्पन्न हुई। v. पुनःलॉगिन की सुविधा प्रदान करने में पर्यवेक्षकों की विफलता , जो बिजली की विफलता , सिस्टम हैंग होने आदि से उत्पन्न होने वाले समय की नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए विस्तारित समय का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। vi. उन मामलों में विस्तारित समय देने में विफलता जहाँ पहला लाँग इन प्रयास विफल रहा या बाद के प्रयासों में प्राप्त समय निर्धारित से कम है, हालांकि ऐसी कमी मामूली थी।

vii. प्रक्षेपित वास्तविक शिकायतों के निवारण के लिए , दो रास्ते परीलक्षित होते हैं। वे हैं

1. सम्पूर्ण परीक्षा को रद्द कर पुनः आयेाजित करनाः – आवश्यकताओं की भयावहता पैमानों को देखते हुए और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान सफल उम्मीदवारों की सुचारू शिक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए समिति यह सुझाव नहीं देती है।

2. उन छात्रों के लिए खोये गये समय को ध्यान में रखते हुए कुछ अंको के साथ क्षतिपूर्ति करने की एक विधि, जिन्हें एक से अधिक बार लंबे समय तक रहने की आवश्यकता होती है, पात्र पाए जाने के बाद भी विस्तारित समय पाने या उसका लाभ उठाने का अवसर खोना। इन समिति के पास अब कोई प्रतिपूरक फॉमूला सुझाने की क्षमता नहीं है। या तो सक्षम सांख्यिकीविद को शामिल करके इसका विस्तार करना होगा या विकल्प के रूप में बार में सुझाए गए किसी फॉमूले या अन्य क्षतिपूरक समाधान, यदि कोई हो, पर विचार करना होगा।

3. जब उपरोक्तनुसार मुआवजा प्रदान करने के बाद सूची दोबारा तैयार की जाती है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा सूची में उम्मीदवारों की रैंक प्रभावित ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि, यदि समान अंक वाला

एक और उम्मीदवार इस कारण से पात्रता प्राप्त कर लेता है कि समान अंक वाला कोई अन्य व्यक्ति मौजूदा रैंक (मान लीजिए 51) के अनुसार पात्रता सूची में आ गया है, तो ऐसे उम्मीदवारों को को रैंक के साथ जोड़ा जा सकता है। संख्या 51 ए, 51 बी , आदि और ऐसे अतिरिक्त प्रवेशकों की संख्या को समायेाजित करने के लिए तदर्थ आधार पर समान संख्या में अतिरिक्त सीटें बनाई जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन उम्मीदवारों ने पहले की रैंक सूची में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है, उन्हें कोई परेशानी न हो।

4. प्रश्नों के निर्माण में त्रुटियों या उत्तर कुंजी को ठीक करने के मामले में कोई राहत का सुझाव नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योकि चार कुलपतियों की एक समिति ने पहले ही 13.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में प्रश्नों और उत्तरों की समीक्षा की है और पाया है कि अशुद्वि केवल क्यूएन के मामले में मौजूद है। संख्या 83(393) और उस प्रश्न को रद्द करने के लिए आगे बढ़े और तदनुसार मूल योजना के अनुसार कुल अंक 200 के बजाय केवल 199 मानते हुए पेपर के मूल्यांकन का निर्दश दिया। Qn.No. 153 (463) के संबंध में, जिसमें मूल रूप से गलत उत्तर कुंजी थी, उस वीसी समिति द्वारा उत्तर कुंजी को सही करने और सही कुंजी को CLAT 2018 वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया था। घोषित परिणाम उपरोक्त परिवर्तनों के अनुसार है। प्रश्नों और कुंजी की अशुद्वि पर विवाद यहीं समाप्त हो सकता है।

6. रिपोर्ट के साथ रखी गई ऑडिट रिपोर्ट में सभी प्रासंगिक विवरण दिए गए है कि उम्मीदवारों ने एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न तक कैसे नेविगेट किया और सटीक लॉग इन और लॉग आउट समय। ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक उम्मीदवार को उपलब्ध कराए गए पर वास्तविक समय के बारे में विवरण भी देती है,जिसमें समय का विस्तार भी शामिल है, जहाँ भी इसे प्रदान किया गया था लाभ लिया गया था। समिति के अनुसार , 2276 उम्मीदवारों के पास परीक्षा शुरू होने से ही एकल लॉग इन सत्र था, जबकि 1899 उम्मीदवारों को एकाधिक लॉग इन सत्रों की आवश्यकता थी, जिसका विवरण यहां उपर दिए गए उद्धरण में दिया गया है। समिति ने इस मुददे पर भी चर्चा की कि छात्रों को मुआवजा कैसे दिया जा सकता है। तथ्य बताते है कि 250 केन्द्रों पर परीक्षा देने वाले 54464 उम्मीदवारों में से 4690 उम्मीदवारों ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर शिकायत उठाई थीं। ऐसे 4690 उम्मीदवारों से संबंधित डेटा को समिति द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

7. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय आर हेगड़े, भारत संध के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह , उत्तरदाताओं 2 और 3 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.गिरी और अन्य सभी विद्वानों को सुना है। वकील जो संबंधित मामलों में विभिन्न हस्तक्षेपकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए। हमारे विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैः

(ए) क्या संपूर्ण परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता है और नए सिरे से परीक्षा का आदेश देने की आवश्यकता है;

(बी) यदि संपूर्ण परीक्षा रद्द नहीं की जानी है, तो उन छात्रों की भरपाई के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जा सकती है जिनका समय बर्बाद हुआ और उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा।

8. उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई मूल शिकायत परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था की ओर से पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने और उन्हें बिना किसी रूकावट के एकल लॉग इन सत्र न देने की कमी के परिणामस्वरूप समय की हानि से संबंधित है। इस प्रकार पेश किया गया विचार समय की हानि और असुविधा की ओर इशारा कर रहा है और यह नहीं सुझा रहा है कि परीक्षा प्रक्रिया की शुद्धता से किसी भी तरह समझौता किया गया ताकि पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सके। किसी भी तरह के सीधे रद्दीकरण से बाकी उम्मीदवारों को भारी असुविधा और कठिनाइओं का सामना करना पड़ेगा। यदि उन अभ्यर्थियों के हितो की भरपाई की जा सकती है जिनका समय बर्बाद हुआ है, तो काई कारण नहीं है कि पूरी प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी जाए। इसलिए, हमने उन 4690 उम्मीदवारों के हितों का ध्यान रखने के लिए संभावित समाधान क्या हो सकता है, इस पर न्यायालय को संबोधित करने के लिए विद्वान वकील को

आंमत्रित किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.गिरी ने उदाहरण के तौर पर चार याचिकाकर्ताओं के संबंध में निम्नलिखित चार्ट हमारे सामने रखा।

क्रम. सं. रोल नबंर कुल अनुमानित समय का नाम प्राप्त समय की संख्या QNS की संख्या अतिरिक्त QNS में मूल उत्तर संशोधित कुल संशोधित संख्या संशोधित अंक में अंतर

अभ्यर्थी परीक्षा में कुछ ही सेकेंड में हार गए, क्यूएनएस ने प्रयास किया। उम्मीदवार को गलत तरीके से फछै की कुल संख्या में से अंक दें। स्कोर लगाने के बाद गलत तरीके से बाद में

जीआरसी अवधि 200 में से सेकेंड सही उत्तर 200 दक्षता में क्यूएनएस की संख्या होगी। सामान्य उत्तर दिया – लागू करना सूत्र को सही ढंग से रिपोर्ट करें
सेकेंड में उत्तर दिया गया फछै था मानकीकरण
उत्तर कोई उत्तर सूत्र नहीं दिया गया
समय की हानि

क्रम सं० जी आर सी रिपॉट	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम	परीक्षा की कुल अवधि(सेकेड)	काल्पनिक समयावधि (सेकेड)	समय का लाभ	बनाये गए प्रश्न की सं० (कुल 200)	कुल प्रश्नों में सही उत्तर	कुल प्रश्नों में गलत उत्तर	मूल प्राप्तांग (कुल 200)	उत्तर देने की दक्षता	समय की हानि न हुई होती तो उम्मीदवार अतिरिक्त प्रश्न को उत्तर दे देता	उत्तर दिए गए प्रश्नों की सशोधित कुल सं०	सही उत्तर वाले प्रश्नों की सशोधित कुल सं०	गलत उत्तर वाले प्रश्नों की सशोधित कुल सं०	सामान्यीकरण प्रारूप लागू करने के बाद संशोधित स्कोर	सामान्यीकरण प्रारूप लागू करने के बाद स्कोर अंतर
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)= (iv)–(v)	(vi)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)= (vi) /(xi)	(xii)= (v)/(xii)	(xiii)= (xiii)*(viii)/(vii)	(xiii)= (xii)*(viii) /(vii)	(xv)= (xiii)*(ix)/(vii)	(xvi)	(xvi)
19	10022585	अनिमेष शुक्ल	7200	553	6647	172	125	47	113.25	38.65	14.00	186.00	135.00	51.00	122.25	9.00
37	10053562	सेकसेम सेहगल	7200	364	6836	118	59	59	44.25	57.93	6.00	124.00	62.00	62.00	46.50	2.25
46	10018796	हंसिका पांडे	7200	68	7132	159	62	97	37.75	44.86	2.00	161.00	98.00	98.00	38.50	0.75
57	10008630	कार्तिक सिंह	7200	109	7091	150	119	31	111.25	47.27	2.00	152.00	31.00	31.00	113.25	2.00

9. चार्ट में लिया गया समय,नष्ट हुआ समय, हल किए गऐ प्रश्नों की संख्या , सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या, गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या और उम्मीदवारों को उत्तर देने की दक्षता सहित सभी विवरण सारणीबद्ध है। उदाहरण के तौर पर , अनिमेष शुक्ला ने 553 सेकेंड यानी लगभग नौ मिनट से अधिक का समय गंवाया था। 200 सवालों में से उन्होंने 125 सवालों का सही जबाव दिए थे, जबकि 47 सवालों के जबाव गलत पाए गए। उन्होंने जो स्कोर हासिल किया वह 113.25 था। हल किए गए प्रश्नों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, उत्तर देने की दक्षता प्रति प्रश्न 38.65 सेकेंड पाई गई। अगले कॉलम में अनुमानित आंकड़ा दिया गया है कि यदि समय की हानि न हुई होती तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया होता और कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया होता। ये काल्पनिक आंकड़े हमें समय की हानि की भरपाई के लिए सांख्यिकीय रूप से सही और उचित फॉर्मूला देते हैं। इस उम्मीदवार के सामने चार्ट में दिए गए आंकड़े बताते है कि सामान्यीकरण फॉर्मूला लागू करने पर , उम्मीदवार 113.35 के मुकाबले 122.25 के स्कोर पर स्थान पाने के हकदार होगा।

10. चूंकि उन 4690 उम्मीदवारों में से प्रत्येक के संबंध में लॉग इन और लॉग आउट समय के बारे में सभी विवरण उपलब्ध हैं, इसलिए उक्त 4690 उम्मीदवारों के संबंध में इस तरह के सामान्यीकरण फॉर्मूला को लागू करके संशोधित स्कोर पर पहुचना संभव है। हमने याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं से बार बार पूछा कि क्या वे केाई वैकल्पिक तंत्र सुझा सकते हैं या वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी .गिरि द्वारा रखे गए सामान्यीकरण फॉर्मूले में कोई कमजोरी या गलती बता सकते हैं, लेकिन कोई भी वकील कोई विकल्प नहीं सुझा सका या इंगित नहीं कर सका। कोई भी दुर्बलता , हमारे अनुसार,इन परिस्थितियों में सुझाया गया सामान्यीकरण फॉर्मूला, उन

4690 उम्मीदवारों के हितों की भरपाई और देखभाल करने का सबसे अच्छा संभव तरीका होगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बाकी उम्मीदवारों के साथ कोई पूर्वाग्रह न हो। सामान्यीकरण फॉर्मूला किसी उम्मीदवार की उत्तर देने की दक्षता या दिए गए समय में प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता के आधार पर आगे बढ़ता है और फिर उसकी सफलता की दर को एक पैरामीटर के रूप में लागू करता है। आम तौर पर, एक उम्मीदवार पहले उन प्रश्नों का उत्तर देगा, जिनके उत्तर वह अच्छी तरह से जानता है और अंत में उत्तर देने के लिए बाकी छोड़ देता है। पूर्व भाग में उनकी सफलता दर निश्चित रूप से बाद की तुलना में अधिक होगी। चूंकि उसे उसी सफलता दर पर लाभ दिया जाएगा, इसलिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। यह सच है कि बार बार रूकावट से मानसिक तनाव होता और वह परेशान हो जाता। लेकिन एक कारक के रूप में उस पहलू को एक मात्रात्मक पैरामीटर में अनुवादित करना मुश्किल है। परिस्थितियों को देखते हुए , सामान्यीकरण फॉर्मूला सही और उचित पद्धति प्रतीत होती है। इसलिए, हम सुझाए गए फॉर्मूले को स्वीकार करते हैं और संपूर्ण परीक्षा को सीधे रद्द करने के तर्क केा खारिज करते हैं।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरी ने यह भी प्रस्तुत किया कि 15 जून, 2018 तक सामान्यीकरण फॉर्मूला को अपनाने और लागू करने और 4690 उम्मीदवारों के संबंध में संशोधित स्कोर पर पहुंचने की पूरी प्रक्रिया शुरू और पूरी की जा सकती है। हम उक्त प्रस्तुतिकरण को रिकॉर्ड करते है और उस आधार पर आगे बढ़ते है। हमें यह भी बताया गया है कि काउंसलिंग का पहला दौर शुरू हो चुका है।

12. पूरे मामले पर विचार करने के बाद हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं

ए) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरी द्वारा सुझाए गए सामान्यीकरण फार्मूले को लागू करने और 4690 उम्मीदवारों के अंको को संशोधित करने की कवायद 15.06.2018 तक पूरी हो जाएगी। प्रतिवादी नंबर 2 और 3 अर्थात् नेशनल यूनिवर्सिटी आफ एडवांस लीगल स्टडीज, कोच्चि और कोर कमेटी – कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2018 अपने संयोजक –कुलपति , नेशनल यूनिवर्सिटी आफ एडवांस लीगल स्टडीज, कोच्चि के माध्यम से पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे और इसे 15.06 तक पूरा करेंगे।

बी) उक्त अभ्यास के पूरा होने पर, 4690 उम्मीदवारों के संशोधित अंक उत्तरदातओं 2 और 3 द्वारा 16.06.2018 को अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

सी) ऐसे संशोधित अंको के आधार पर समिति द्वारा दिए गए सुझाव के पैरा 3 अनुसार मेरिट सूची को पुनव्यवस्थित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में , संबंधित उम्मीदवार की संशोंधित स्थिति समिति द्वारा दर्शाए अनुसार रैंक संख्या 51 ए – 51 बी द्वारा इंगित की जाएगी।

डी) 10.06.2018 को शुरू हुई काउंसलिंग का पहला दौर बिना किसी बाधा के चलेगा और यदि किसी उम्मीदवार को सीट आवंटित की जाती है, तो किसी भी उम्मीदवार को दी गई संशोधित स्थिति के परिणामस्वरूप ऐसे आवंटन में 4690 उम्मीदवारों का समूह किसी भी तरह से प्रतिकूल परिवर्तन नहीं होगा।

इ) यदि 4690 अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी अन्यथा हकदार हैं, यानी कि संशोधित स्कोर के लाभ के बिना भी, किसी भी सीट को आवंटित किया जाए, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के आवंटन पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एफ) काउंसलिंग के दूसरे दौर में इन निर्देशों के अनुसार तैयार की गई रैंक /मेरिट सूची गवर्निंग सूची होगी और काउंसलिंग के दूसरे और बाद के दौर में सीटें इन निर्देशों के अनुसरण में संशोधित सूची के आधार पर आवंटित की जाएगी।

जी) यदि कोई उम्मीदवार ,काउंसिलिंग के दूसरे और बाद के दौर में संशोधित रैंक सूची के परिणामस्वरूप,अपनी संशोधित रैंकिग के अनुसार अपनी पंसद के किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश सुरक्षित करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति बिना किसी नुकसान उठाए दी जाएगी। ऐसे मामलों में, यदि पहले कॉलेज में फीस जमा की जाती है, तो उसे दूसरे कॉलेज में प्रवेश के परिप्रेक्ष्य में विरूद् उचित क्रेडिट दिया जाएगा, जिसे उम्मीदवार संशोधित रैंकिग के परिणामस्वरूप चुन सकता है।

13. हमने इस मामले को केवल इस दृष्टिकोण से निपटाया है कि परीक्षण के दौरान बहुमूल्य समय बर्बाद करने वाले उम्मीदवारों को कैसे मुआवजा दिया जाए। हमें यह दर्ज करना होगा कि जिस तरह से परीक्षा आयोजित की गई उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जिस निकायों की परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा गया था, वह निर्बाध यूपीएस और जनरेटर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य था। रिकॉर्ड उस बिन्दु पर पूर्ण अपर्याप्तता को इंगित करता है। इसलिए हम भारत के मानव संसाधन और विकास मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि वह इस मामले को देखने के लिए एक समिति नियुक्त करें और जिस निकाय को यह कार्य सौंपा गया है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाई, यदि कोई हो, सहित उचित उपचारात्मक उपाय करें। गठित समिति भविष्य में पूरी तरह से संतोषजनक व्यवस्था करने के पहलू पर भी गौर करेगी ताकि आने वाले वर्षो में ऐसी केाई घटना दूबारा पुनरावृत्ति ना हो। हमें यह भी देखना होगा कि संपूर्ण परीक्षा के संचालन की निगरानी का काम हर साल अलग अलग विधि विश्वविधालयों को सौंपने के विचार पर भी दोबारा विचार करने की जरूरत है। परीक्षा आयोजित करने वाले संस्था के साथ समझौता, जिसे रिकोर्ड में रखा गया था, इंगित करता है कि ऐसी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को दी गई राशि के मुकाबले , उम्मीदवारों से ली गई फीस बहत अधिक है। समिति बार काउंसिग ऑफ इंडिया सहित ऐसे स्रोतों से इनपुट प्राप्त करने के बाद इन सभी पहलूओं पर विचार करेगी और आज से तीन महीने के भीतर इस न्यायालय को एक विस्तृत रिपोर्ट देगी।

14. चूंकि हमने मामले को निपटा लिया है और व्यापक निर्देश पारित किए है, इसलिए हम उच्च न्यायालयों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे निर्देशों के आलोक में क्लैट 2018 के संबंध में चुनौती देने वाले लंबित मामलों का निपटारा करें।

15. इस प्रकार सभी याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। हम शिकायत निवारण समिति के सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों और सभी विद्वान वकीलों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी
हार्दिक सराहना दर्ज करते हैं।

Akhilesh Kumar
Dist.& Addl. Sessions Judge – XVI, Dhanbad